भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
रेलवे बोर्ड **(RAILWAY BOARD)**

RBA No. 76/2020

No. 2020/AC-II/21/7 **New Delhi**, dated 18.09.2020

General Managers/PFAs,
All Indian Railways & PUs etc.

Sub: **ACS No. 150**- Introduction of new detailed head in Indian Railway Finance Code Vol. II for Accountal of NPS Accumulation on Mobility of personnel amongst Central/State and Autonomous Bodies while working under Pensionable establishment.

~~~~~~~~

Please connect Board's letter No. F(E)III/2005/PN1/35 dated 19.08.2020 circulating Department of Pension and Pensioners' Welfare(DOP&PW)'s O.M. No. 28/30/2004-P&PW (B) dated 11.06.2020. As regards instructions with respect to para 9 of DOP&PW's letter ibid, the accountal of corpus of NPS account of Railway employees will be as follows:

| S.No. | Issues | Adjustment process |
|---|---|---|
| 1. | Adjustment of Employees contribution in Accounts | Account may be credited to individual SRPF Account and the account may be re-casted permitting up-to-date interest |
| 2 | Adjustment of Government contribution under NPS in Accounts | Amount may be credited to SMH 11 –940 Credits under NPS -941 – Adjustment of Government Contribution to NPS (New detailed head introduced vide **ACS No. 150** to F-II enclosed herewith) |
| 3. | Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investment | May be crediting to SMH 11 –940 Credits under NPS – 942 – Adjustment of increased value of subscription in NPS on account of appreciation of investment (New detailed head introduced vide **ACS No. 150** to F-II enclosed herewith) |

Contents of the correction slip may please be circulated suitably. Kindly acknowledge receipt.

DA: As above.

**(Sanjeev Sharma)**
**Director Finance/Accounts**
**Railway Board**

**Copy to:**

1. Dy. C&AG (Railways) Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
2. DG/HR, AM(Revenue), EDFE
3. AC-I (Comp), AC-III (6 copies), AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget), Pay & Accounts/Rly Bd.

Misc - ACS -149
~~~~~~~~

Advance Correction Slip No. 150

INDIAN RAILWAY FINANCE CODE - VOLUME - II
(Second Reprint Edition 2008).

Please introduce the following Detailed Head under Sub Major Head 11 (Erstwhile Demand No. 13) - Abstract 'L' Provident Fund, Pension and Other- Retirement Benefits - Minor Head - 900 Credits or recoveries - under Sub Head - 940 Credits under NPS for 'Adjustment of Government contribution under NPS' and 'Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investment':

Minor Heads	Sub-Heads	Detailed Heads
900 Credits or recoveries	940 Credits under NPS	941 – Adjustment of Government Contribution to NPS 942 – Adjustment of increased value of subscription in NPS on account of appreciation of investment

(Authority: Board's Letter No. 2020/AC-II/21/7 dated 18.09.2020 - RBA No. 76/2020)

भारत सरकार/Government Of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

आरबीए सं. 76/2020

सं. 2020/एसी-II/21/7 नई दिल्ली, दिनांक 10.09.2020

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय : अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.150- पेंशनीय स्थापनाओं के अधीन काम करते हुए केंद्रीय/राज्य और स्वायत्त निकायों के बीच कर्मियों की गतिशीलता पर एनपीएस संचयन के लेखे-जोखे के लिए भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II में नए विस्तृत शीर्ष को खोलना।

.....

कृपया बोर्ड के दिनांक 19.08.2020 के पत्र सं. एफ(ई)III/2005/पीएन1/35 का अवलोकन करें जिसके साथ पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण (डीओपीएंडपीडब्ल्यू) विभाग का दिनांक 11.06.2020 का कार्यालय ज्ञापन सं. 28/30/2004-पी एवं पीडब्ल्यू (बी) परिपत्रित किया गया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पूर्वोक्त पत्र के पैरा 9 में अनुदेशों के संबंध में रेल कर्मचारियों के एनपीएस खाते के कॉर्पस का लेखा-जोखा निम्नानुसार होगा :

क्र.सं.	मुद्दे	समायोजन प्रक्रिया
1.	लेखे में कर्मचारियों के अंशदान का समायोजन	खाते को व्यक्तिगत एसआरपीएफ लेखे में जमा किया जाए और नवीनतम ब्याज को अनुमति देते हुए पुन: डाला जाए।
2.	लेखे में एनपीएस के तहत सरकार के अंशदान का समायोजन	एनपीएस-941- एनपीएस में सरकार के अंशदान का समायोजन (एफ-II के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.150 के तहत खोला गया नया विस्तृत शीर्ष इसके साथ संलग्न है) - के अंतर्गत एसएमएच 11-940 में राशि जमा की जाए।

3.	निवेश में वृद्धि होने पर अभिदान के बढ़े हुए मूल्य का समायोजन	एनपीएस-942 - निवेश में वृद्धि होने पर अभिदान के बढ़े हुए मूल्य का समायोजन (एफ-II के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.150 के तहत खोला गया नया विस्तृत शीर्ष इसके साथ संलग्न है) के अंतर्गत एसएमएच 11-940 में राशि जमा की जाए।

शुद्धि पर्ची की विषय सामग्री को उपयुक्त रूप से परिपत्रित किया जाए। कृपया पावती दें।

संलग्न : यथोक्त

(संजीव शर्मा)
निदेशक वित्त/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें) कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक/मानव संसाधन, अपर सदस्य (राजस्व), ईडीएफई
3. लेखा-I (संकलन), लेखा-III (6 प्रतियां), लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त(बजट), वेतन एवं लेखा/रेलवे बोर्ड।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 150

भारतीय रेल वित्त संहिता - जिल्द - II

(द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण 2008)

कृपया निम्नलिखित विस्तृत शीर्ष को उप मुख्य शीर्ष 11 (पूर्व मांग सं. 13) - सार 'एल' भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ - लघु शीर्ष - 900 जमा या वसूलियां के अधीन उप शीर्ष - 940 एनपीएस में जमा 'एनपीएस में सरकार के अंशदान का समायोजन' और 'निवेश में वृद्धि होने पर अभिदान के बढ़े हुए मूल्य का समायोजन' खोला जाए :

लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष
900 जमा या वसूलियां	940 एनपीएस में जमा	941- एनपीएस में सरकार के अंशदान का समायोजन 942- निवेश में वृद्धि होने पर एनपीएस में अभिदान के बढ़े हुए मूल्य का समायोजन

(प्राधिकार : बोर्ड का दिनांक 18.09.2020 का पत्र सं. 2020/एसी-II/21/7 - आरबीए सं. 76/2020)